डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

मोहान रोड, लखनऊ: 226 017 दूरभाष नं0-8004930056/0522-2999862/2998380/1/2/3294634 वेबसाइट: http://dsmru.up.nic.in

प्रेषक

कुलसचिव,
डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति / अध्यक्ष,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

2. निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. समस्त विभागाध्यक्षगण,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

4. विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

5. कुलसचिव / सदस्य सचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

6. डॉ0 संजीव गुप्ता,
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

7. श्री आशीष गुप्ता,
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

पत्रांक : 230 / फास–568 / डीएसएमएनआरयू / वि0परि0 / पंचम बैठक / 2018–19 दिनांक: 12 मई, 2018

विषयः–डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या–परिषद की पंचम बैठक दिनॉक 11.05.2018 के कार्यवृत्त के प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की विद्या–परिषद की पंचम बैठक दिनांक 11.05.2018 में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

विद्या परिषद् – पंचम बैठक

दिनांक 11 मई, 2018

समय–अपराह्न 04:00 बजे

–: स्थल :–

सभागार, पंचम तल, प्रशासनिक भवन

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

का

कार्यवृत्त

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या : 1/5 : विद्या परिषद् की चतुर्थ बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में।

निर्णयः मा. विद्या परिषद द्वारा दिनांक 15.03.2018 को सम्पन्न चतुर्थ विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नवत् संशोधन के साथ की गयी। कार्यवृत्त का संशोधित अंश निम्नानुसार पढ़ा जाएगा –

बिन्दु सं.–15/4 : अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग में संचालित स्नातक, परास्नातक और पी–एच0डी0 कोर्स वर्क के संशोधित पाठ्यक्रम, अंग्रेजी विभाग में लैंग्वेज लैब की स्थापना तथा तीन माह का अंग्रेजी में सर्टिफिकेट कोर्स के संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णयः **मा0 विद्या परिषद द्वारा अंग्रेजी में सर्टिफिकेट कोर्स के संचालन व स्नातक, परास्नातक और पी–एच0डी0 कोर्स वर्क के संशोधित पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया।** विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिए गए कि लैंग्वेज लैब की स्थापना के संबंध में ब्रिटिश काउंसिल संस्थान का भ्रमण कर समुचित प्रस्ताव आगामी विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्या–2/5 : शैक्षिक सत्र 2018–19 में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों यथाः–बी.टेक. एवं बी.बी.ए. के संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णयः मा. विद्या परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि :

क) उक्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए प्रकरण पर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मा0 सामान्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए गए। मा0 विद्या परिषद द्वारा यह निर्देश भी दिए गए कि इस बिन्दु पर भी परीक्षण कर लिया जाए कि उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं।

ख) मा0 विद्या परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त स्ववित्तपोषित बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ (ए.के.टी.यू.) द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट के आधार पर ही प्रवेश की कार्यवाही की जाए। साथ ही निर्देश दिए गए कि उक्त पाठ्यक्रमों हेतु नियामक संस्था ए.आई.सी.टी.ई. का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाए।

(मधुरेन्द्र कुमार पर्वत)

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

ग) उक्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु फैकल्टी/गेस्ट फैकल्टी नियुक्त करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ए.आई.सी.टी.ई. के दिशा–निर्देशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

बिन्दु संख्या–3/5 : विशेष शिक्षा के डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा आर.सी.आई. द्वारा निर्धारित "ऑल इण्डिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट" के माध्यम से कराए जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः विशेष शिक्षा के डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा आर.सी.आई. द्वारा निर्धारित "ऑल इण्डिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट" के माध्यम से कराए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–4/5 : आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चियन प्रकोष्ठ (IQAC) के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

निर्णयः मा. विद्या परिषद उक्त से अवगत हुई।

बिन्दु संख्या–5/5 : शैक्षिक सत्र 2016–17 की एलएल.एम. पाठ्यक्रम के मेधावी विद्यार्थियों की मेडल वितरण सूची में अनियमिताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र के सम्बन्ध में।

मा0 विद्या परिषद को परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाएं एक ही समय–सारणी के अनुसार, एक समान प्रश्न–पत्र के माध्यम से करायी गयी हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के शिक्षकवृन्द द्वारा ही किया जाता है। तद्नुसार प्राप्तांकों के आधार पर ही संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों का परीक्षाफल/मेरिट सूची तैयार की जाती है तथा उसके आधार पर ही सभी विभागों एवं संकायों की मेडल सूची निर्गत की जाती है जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्तियाँ मांगी जाती हैं। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय में गठित मेडल समिति के समक्ष रखा जाता है, तद्नुसार आपत्तियाँ निस्तारित की जातीं हैं। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मेडल शैक्षिक सत्र–2016–17 से सम्बन्धित हैं तथा इन परीक्षाओं के संबंध में नकल आदि की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी और न ही घोषित परीक्षा परिणामों के संबंध में किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति प्राप्त हुई।

निर्णयः मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूँकि विश्ववद्यालय स्तर पर सभी विभागों एवं संकायों में विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की तैयार संयुक्त मेरिट सूची के

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

आधार पर ही मेडल प्रदान किए जाते हैं, अतः केवल एक विषय के लिए कोई अपवाद किया जाना उचित नहीं होगा। साथ ही जब घोषित परिणाम पर कोई आपत्ति नहीं की गयी, तो अब इस स्तर पर मेरिट लिस्ट के आधार पर बनायी गयी मेडल सूची में कोई संशोधन किया जाना भी विधिक दृष्टि से उचित नहीं होगा।

बिन्दु संख्या–6/5 : चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में उपाधि (डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र) प्रदान किए जाने के संबंध में।

निर्णयः मा0 विद्या परिषद द्वारा वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 7/5: चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः मा0 विद्या परिषद द्वारा चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में दिए जाने वाले प्रस्तावित मेडल/पदक सूची को यथावत अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि भविष्य में किसी संस्था अथवा व्यक्ति के नाम से पदक या नामित पदक संस्थापित करने के संबंध में मानकों के निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया जाए, जिसके द्वारा नामित पदक संस्थापन के संबंध में प्रस्तावों के गुण–अवगुण का परीक्षण व प्राप्त की जानी वाली धनराशि के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति मा0 विद्या परिषद को उपलब्ध करायी जाएगी व मा0 विद्या परिषद के अनुमोदनोपरान्त नवीन पदक संस्थापित किए जाएंगे।

बिन्दु संख्याः 8/5 : प्री–डिग्री सर्टिफिकेट फॉर द डेफ पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः मा0 विद्या परिषद द्वारा वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः 9/5 : हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में दो वर्षीय पाठ्यक्रम एम0फिल0–20 सीट्स के संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णयः मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में रखा जाए, तत्पश्चात आगामी विद्या परिषद की बैठक मे प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु संख्याः 10/5: बी.ए. प्रथम वर्ष में अर्थशास्त्र विषय चयन हेतु न्यूनतम् अर्हता निर्धारण के संबंध में।

निर्णयः मा0 विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर चर्चा हुयी सम्यक् विचारोपरान्त सम्बन्धित प्रकरण पर विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर पुनः विचार कर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए व अन्तिम निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow

बिन्दु संख्याः 11/5: शोध कार्य के संबंध में।

निर्णयः मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि शोध कार्य के लिए अभी तक रिसर्च डिग्री कमेटी का गठन नहीं हुआ है जबकि विगत 04 वर्षों से पी–एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश/शोध जारी है। इस प्रकार बिना रिसर्च डिग्री कमेटी में विद्यार्थियों का शोध सार स्वीकृत हुए पाठ्यक्रम चल रहा है। मा0 विद्या परिषद द्वारा इस व्यवस्था पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि :–

1) शोध उपाधि समिति तत्काल गठित की जाए व इस हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पी–एच0डी0 अध्यादेश, का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3) प्री पी.एच.डी कोर्स वर्क के पाठ्यक्रम तथा उसका संचालन एवं परीक्षा तथा परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाए।

4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पी–एच0डी0 अध्यादेश, 2016 के अनुपालन के फलस्वरूप जिन शोधार्थियों के शोध पर्यवेक्षक के पुनः आवंटन की आवश्यकता है, उन विद्यार्थियों की एक सूची तैयार कर ली जाए। तद्नुसार उन शोधार्थियों के शोध पर्यवेक्षक पुनः आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

6) प्रो. आर.आर. सिंह द्वारा मा. विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. अध्यादेश–2014 के बिन्दु 1.7 में निम्नलिखित प्रावधान हैः *"डॉ0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ की विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा जो शिक्षक/कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वे यदि पी–एच.डी. में प्रवेश के इच्छुक हों तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार से मुक्त रखा जाएगा।"* मा. विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के उक्त अध्यादेश में उल्लिखित नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पी–एच0डी0 अध्यादेश के अनुसार नहीं है। उक्त का संज्ञान लेते हुए मा0 विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिए गए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पी–एच0डी0 अध्यादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

7) अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कतिपय ऐसे शोध विद्यार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. अध्यादेश–2014 के बिन्दु 1.7

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University

के अधीन बिना किसी प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार के प्रवेश प्राप्त किया है अथवा विश्वविद्यालय से बाहर के वे शोधार्थी जिन्होंने न तो प्रवेश परीक्षा दी है और न ही प्रवेश संबंधी किसी अन्य प्रक्रिया में भाग लिया है अथवा सीधे प्रवेश पाकर विश्वविद्यालय में शोधरत् हैं, उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों/विनियमों के अनुसार पी-एच.डी की उपाधि दिए जाने में विधिक अड़चन है। अतः मा0 विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिए गए कि ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में नियमों/विनियमों का परीक्षण करके उपलब्ध विकल्पों के सम्बन्ध में संस्तुति प्रदान करने हेतु प्रो. एच.एस. झा, आचार्य समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, प्रो. डी. एन. सिंह, आचार्य हिन्दी एवं अन्य भाषा विभाग, प्रो. वी.के. सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, प्रो. पी. राजीवनयन, अधिष्ठाता, संगीत एवं ललित कला संकाय व प्रो. आर.आर. सिंह, अधिष्ठाता विशेष शिक्षा संकाय की 05 सदस्यीय समिति गठित की जाए। उक्त समिति 01 माह के भीतर ऐसे शोधार्थियों को चिन्हित कर ऐसे शोधार्थियों के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों सहित सम्पूर्ण प्रकरण पर अपनी संस्तुति कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मा0 विद्या परिषद द्वारा उक्त समिति की संस्तुति पर उचित निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

8) विश्वविद्यालय में शोधरत् ऐसे शोधार्थी जिनकी नियुक्ति/चयन किसी अन्य संस्थान में हो गया है, ऐसे प्रकरणों को शोध उपाधि समिति के समक्ष रखा जाए। यू.जी.सी., पी-एच0डी0 अध्यादेश के अन्तर्गत ऐसे शोधार्थियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने/निर्णय लेने हेतु मा0 विद्या परिषद के अध्यक्ष/कुलपति को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्याः 12/5 : अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत प्रयोगशाला, स्टाफ एवं अवस्थापना सम्बन्धित मूलभूत अपेक्षित आवश्यकताओं के सम्बन्ध में।

मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु लगभग 50 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी आवश्यक है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि इतनी बड़ी संख्या में प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वांछित अवस्थापना सुविधाएं- भवन/कक्ष आदि उपलब्ध नहीं हैं तथा यदि सभी कक्ष केवल एक ही संकाय की प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु आवंटित कर दिए जाते हैं तो इससे अन्य संकायों के पाठ्यक्रमों के पठन्-पाठन का कार्य कुप्रभावित होगा। मा0 विद्या परिषद द्वारा आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का आंकलन किए बिना कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए निम्नवत् निर्देश दिए गए –

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University
Lucknow

निर्णयः 1) अधिष्ठाता अभियांत्रिकी संकाय द्वारा अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं का आकलन करते हुए इस बिन्दु का परीक्षण कर लिया जाए कि किन प्रयोगशालाओं की सर्वाधिक व सर्वप्रथम आवश्यकता है ताकि उसके लिए वांछित भवन/कक्ष व संसाधनों की व्यवस्था किए जाने का प्रयास किया जा सके।

2) छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, जिन प्रयोगशालाओं की स्थापना अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में विश्वविद्यालय परिसर में किया जाना संभव न हो, उन प्रयोगशालाओं हेतु अन्य विश्वविद्यालयों/प्राविधिक महाविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था/ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3) यह भी निर्देश दिए गए कि भविष्य में उन्हीं पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाए जिनके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक संसाधन व अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हों।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्याः 13/5 : विधि संकायान्तर्गत एलएल.एम. (01 वर्षीय) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनिवार्य सुविधाओं एव बी.कॉम.एलएल.बी.(ऑनर्स) के साथ–साथ बी.ए.एल.एल.बी. (ऑनर्स) इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में।

निर्णयः मा0 विद्या परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव पर वांछित अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही निर्णय लिया गया कि भविष्य में विधि संकायान्तर्गत द्विवर्षीय एल.एल.एम. पाठ्यक्रम संचालित किया जाए।

बिन्दु संख्याः 14/5 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

1). विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम D.Ed.Spl.Ed.(MR, HI, VI)/B.Ed.Spl.Ed. (MR, HI, VI)/M.Ed.Spl.Ed.(MR, HI, VI) की उपाधि प्रमाण–पत्र प्रारूप के संबंध में।

निर्णय : मा0 विद्या परिषद द्वारा वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

2) सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत क्रेडिट आधारित मानकों में एकरूपता के सम्बन्ध में।

निर्णय : मा0 विद्या परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विनियम–2014 के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत क्रेडिट आधारित मानकों में एकरूपता के सम्बन्ध में जिन संकायों/विभागों में विचलन हो रहा है, उन संकायों/विभागों में विश्वविद्यालय के परीक्षा विनियम–2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
Rehabilitation University

3) सेमेस्टर व्यवस्था के अधीन न्यूनतम् शैक्षिक दिवस को लागू किये जाने के संबंध में।

निर्णयः सेमेस्टर व्यवस्था के अधीन न्यूनतम् शैक्षिक दिवस को लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्याः 4 : कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में शैक्षिक सत्र 2018–19 में संचालित किये जाने वाले एम.सी.ए. एवं पी–एच.डी. पाठ्यक्रम पर अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : मा0 विद्या परिषद द्वारा वांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।

(Pravir Kumar)
Vice-Chancellor
Dr. Shakuntala Misra
National Rehabilitation University,
Lucknow